



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222519
CG-DL-E-16102020-222519

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3230]
No. 3230]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3642(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
98	हरिहरगंज बाइपास (बिहार) के प्रारंभ से शिलडाग (झारखंड) खंड (बिहार और झारखंड राज्य में)	औरंगाबाद – पर्वी मोड़ खंड का किमी 23.284 से किमी 57.049 तक

[फा. सं. एनएच-14013/18/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2020

S.O. 3642(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
98	Start of Hariharganj Bypass (Bihar) to - Shildag (Jharkhand) section (In the State of Bihar & Jharkhand)	From Km. 23.284 to Km. 57.049 of Aurangabad – Parwa More section

[F. No. NH-14013/18/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3643(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 10 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"10"	रारा सं. 23 [किमी 0.000 से किमी 81.200 (चास - रामगढ़ खंड) और किमी 2.90 से किमी 88.000 (रांची - गुमला खंड) को छोड़कर], सं. 75 [किमी 0.000 से किमी 259.000 (रांची-नगर उतारी खंड) तक को छोड़कर], सं. 75 का विस्तार, सं. 78, सं. 98 [किमी 23.284 से किमी 57.049 (औरंगाबाद-पर्वा मोड़ खंड का हरिहरगंज - शिलडाग खंड) तक को छोड़कर], सं. 99, सं. 100, नई रारा सं. 114ए, नई रारा सं. 133, नई रारा सं. 43, नई रारा सं. 133ए, नई रारा सं. 143ए, नई रारा सं. 143बी, नई रारा सं. 218, नई रारा सं. 220, नई रारा सं. 133बी, नई रारा सं. 143एजी (खूंटी से तमार खंड को छोड़कर), नई रारा सं. 320डी, नई रारा सं. 320जी, नई रारा सं. 333, नई रारा सं. 333ए, नई रारा सं. 343 और नई रारा सं. 419 के उतने भाग जो झारखंड राज्य में अवस्थित हैं।	झारखंड राज्य सरकार"

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 3459(अ), दिनांकित 01 अक्टूबर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/18/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2020

S.O. 3643(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"10	So much of National Highways No.23 [excluding from km. 0.000 to km. 81.200 (Chas-Ramgarh section) and from km 2.90 to km 88.000 (Ranchi- Gumla Section)], No.75 [excluding from km. 0.000 to km. 259.000 (Ranchi-Nagar Utari section)], Extension of No.75, No.78, No. 98 [Excluding from Km. 23.284 to Km. 57.049 (Harharganj-Shildag section of Aurangabad – Parwa More section) , No.99, No.100, new NH No.114A, new NH No.133, new NH No. 43, new NH No. 133A, new NH No. 143A, new NH No. 143B, new NH No. 218, new NH No. 220, new NH No. 133B, new NH No. 143AG [excluding from Khunti to Tamar section], new NH No. 320D, new NH No. 320G, new NH No. 333, new NH No. 333A, new NH No. 343 and new NH No. 419 as are situated within the State of Jharkhand.	State Government of Jharkhand."

Note: The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 3459(E), dated the 1st October, 2020.

[F. No. NH-14013/18/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3644(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"4	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2सी, सं. 19 [किमी 143.200 से किमी 207.200 (छपरा-हाजीपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, सं. 30ए, सं. 80 [किमी 1.430 से किमी 190.000 (मोकामा-मुंगेर-मिर्जाचौकी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 81, सं. 82 [किमी 95.000 से किमी 149.020 (बिहारशरीफ – बरबिगहा-मोकामा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 98	बिहार राज्य सरकार"

[बिहार राज्य में प्रस्तावित हरिहरगंज बाइपास के भाग को छोड़कर], सं. 99, सं. 101, सं. 103, सं. 104, सं. 105, सं. 106, सं. 110, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 227जे, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 227एल, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 333 [रारा-33 (नई सं.) पर बरियारपुर से प्रारंभ होकर खडगपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकई को जोड़ने वाला राजमार्ग], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327 विस्तार [बिहार राज्य में रारा सं-327 (पश्चिम बंगाल/बिहार) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर ठाकुरगंज, रानीगंज, बहादुरगंज, अररिया, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल (बरियाही बाजार) बनगांव को जोड़ने वाला और महेशी (तारापीठ) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग]], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 131ए [पश्चिम बंगाल राज्य में मालदा से शुरू होने वाला, रतुआ और देवीपुर को जोड़ने वाला, रारा-31 पर आमदाबाद, मनिहारी, कटिहार को जोड़ने वाला और रारा-27 (नई सं.) पर पूर्णिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग]], नई रारा सं. 120, नई रारा सं. 122ए, नई रारा सं. 122बी, नई रारा सं. 131बी, नई रारा सं. 133, नई रारा सं. 133ई, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए, नई रारा सं. 227एफ, नई रारा सं. 319ए, नई रारा सं. 322 (मुशरीघरारी के निकट रारा-122 के जंक्शन से बेला, नवादा के निकट रारा-27 के जंक्शन तक का विस्तारित भाग), नई रारा सं. 327ए, नई रारा सं. 327एडी, नई रारा सं. 333ए, नई रारा सं. 333सी, नई रारा सं. 527ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 527ई और नई रारा सं. 727ए के उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 3459(अ), दिनांकित 01 अक्टूबर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/18/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2020

S.O. 3644(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“4	So much of National Highways No.2C, No. 19 [excluding from Km.143.200 to Km.207.200 (Chhapara-Hajipur)], No. 28B, No.30A, No. 80 [excluding from km.1.430 to km.190.000 (Mokama-Munger-Mirzachowki section), No.81, No.82 [excluding from Km. 95.000 to Km. 149.020 (Biharsharif-Barbiga-Mokama section)], No. 98 [excluding portion of proposed Hariharganj bypass in the state of Bihar)], No. 99, No. 101, No. 103, No. 104, No. 105, No. 106, No. 110, new National Highway number 227J, new National Highway number 227L, new National Highway number 333 [the highway starting from Bariyarpur on NH-33 (new number)	State Government of Bihar”

connecting Kharagpur, Laxmipur, Jamui, Chakai], new National Highway number 327 Extension [The highway starting from Galgalia on N.H. 327 (W.B/Bihar) Thakurganj, Raniganj, Bahadurganj, Araria, Bhargama, Tribeniganj, Pipra, Supaul (Bariyahi Bazar) Bangaon and terminating at Maheshi (Tarapeeth) in the State of Bihar], new National Highway number 131A [the Highway starting from Malda, connecting Ratua and Debipur in the State of West Bengal, connecting Amdabad, Manihari, Katihar on NH-31 and terminating at Purnia on NH-27 (new number)], new NH No. 120, new NH No. 122A, new NH No. 122B, new NH No 131B, new NH No. 133, new NH No. 133E, new NH No. 219, new NH No. 227A, new NH No. 227F, new NH No. 319A, new NH No. 322 (Extended part from junction with NH-122 near Mushrigharari to junction with NH-27 near Bela Nawada) , new NH No. 327A, new NH No. 327AD, new NH No. 333A, new NH No. 333C new NH No. 527A, new National Highway number 527E and new NH No. 727A as are situated within the State of Bihar.	
--	--

Note: The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 3459(E), dated the 1st October, 2020.

[F. No. NH-14013/18/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.